



मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ-226005

परिपत्र सं०-

06

/सामा-2(1)

दिनांक: 03 जून, 2020

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,  
केन्द्रीय/जिला/उप कारागार तथा आदर्श कारागार  
एवं नारी बन्दी निकेतन लखनऊ।

विषय:- आयुष मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कोविड-19 समय अवधि में अगले एक माह के लिये एक कप अतिरिक्त चाय/काढ़ा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय


कारागारों में निरुद्ध बंदियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के दृष्टिगत मुख्यालय के परिपत्र संख्या-05/सामा-2(1) दिनांक-28.04.2020 के द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्शित काढ़ा बंदियों को दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत, आयुष मंत्रालय द्वारा निर्गत परामर्श के अनुसार बन्धियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिये नियमित रूप से काढ़ा दिया जाना उचित है।

सम्यक विचारोपरान्त बन्धियों को प्रतिदिन काढ़ा दिये जाने की व्यवस्था को अगले एक माह के लिये बढ़ाया जाता है। यह निर्देश महानिदेशक/महानिरीक्षक महोदय से अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

तदनुपरान्त अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

  
( वी०पी० त्रिपाठी )

उप महानिरीक्षक कारागार (मु०),  
उत्तर प्रदेश।

पू०सं०-

/सामा-2(1)

तददिनांक:

2020

प्रतिलिपि उपरोक्त के सन्दर्भ में पुलिस उप महानिरीक्षक कारागार/उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा/प्रयागराज/बरेली/अयोध्या/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/मेरठ/वाराणसी परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( वी०पी० त्रिपाठी )

उप महानिरीक्षक कारागार (मु०),  
उत्तर प्रदेश।